



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. ९] दिल्ली, फरवरी २५—मार्च ३, २०११, बृहस्पतिवार/फाल्गुन ६—फाल्गुन १२, १९३२ [रा.रा.क्षे.दि. सं. २८९, २९१]
No. ९] DELHI, FEBRUARY 25—MARCH 3, 2011, THURSDAY/PHALGUNA 6—PHALGUNA 12, 1932 [N.C.T.D. No. 289, 291]

भाग—IV

PART—IV

भाग-१ में सम्प्रिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रधान सचिव एवं आयुक्त (विकास) का कार्यालय
अधिसूचना

दिल्ली, १ मार्च, २०११

सं. फा. ५६(३३३)/०७/वि.मु./४५७०.—इस सरकार की दिनांक २ अप्रैल, २००८ की अधिसूचना संख्या फा. ५६(३३३)/०७/वि.मु./३५९४ के अधिक्रमण में तथा कोटनाशक अधिनियम, १९६८ (१९६८ का ४६) की धारा ३ के खंड (क्यू) के साथ पठित धारा १२ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री अनंग पाल सैनी, फल एवं सब्जी विशेषज्ञ, विकास विभाग, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्ण क्षेत्र के लिये लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. एस. कनावत, अतिरिक्त विकास आयुक्त

OFFICE OF PR. SECRETARY AND COMMISSIONER
(DEV)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st March, 2011

F. No. ५६(३३३)/०७/Dev.HQ./४५७०.—In supersession of this Government's notification No. F. ५६(३३३)/०७/Dev.HQ/ ३५९४ dated the 2nd April, 2008 and in exercise of powers conferred by Section 12 read with clause (q) of Section 3 of the Insecticide Act, 1968 (46 of 1968), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Shri Anang Pal Saini, Fruit and Vegetable Specialist of Development Department, to be the Licensing Officer for the whole area of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

S. S. KANAWAT, Add. Dev. Comissioner

कार्यालय : पंजीयक सहकारी समितियाँ

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

फा. सं. 6 (19)/82/स्था./सह./526-533.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2004 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. बी. शुक्ला, आई. ए. एस. को उक्त अधिनियम के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए सहकारी समितियाँ का पंजीयक दिनांक 19-01-2011 पूर्वाहन से नियुक्त करते हैं।

इस सरकार की अधिसूचना संख्या : 6(19)/82/स्था./सह./1634-42 दिनांक 25-5-2009 को अधिक्रमित की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. के. झा, अतिरिक्त सचिव (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2011

No. F. 6 (19)/82/Estd./Coop/526-533.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. A. B. Shukla, IAS as the Registrar Cooperative Societies, Delhi, for the Government of NCT of Delhi with effect from 19-01-2011(FN).

This Government's notification No. F. 6(19)/82/Estd./Coop/1634-42 dated: 25-05-2009 is hereby superseded.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

S. K. JHA, Addl. Secy. (Coop)

O.S(A)